

# SHAHEED NANDKUMAR PATEL VISHWAVIDYALAYA, RAIGARH (C.G.)



(A State University established under Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adiniam, 1973)

Gadhumaria, Odisha Road, Raigarh Chhattisgarh, 496001

Email –registrarsnpv@gmail.com, Website– <https://snpv.ac.in>

No.2-1-2/411/संबद्धता प्रमाण पत्र/2022/474

Raigarh, Date-05.10.2022

## CERTIFICATE

This is to certify that “GYANODAYA COLLEGE OF EDUCATION, JANJGIR DISTT. JANJGIR-CHAMPA (C.G.)” is affiliated to the SHAHEED NANDKUMAR PATEL VISHWAVIDYALAYA, RAIGARH (C.G.) and following Courses/Subject are being taught in the said College as per approval:-

S.N	NAME OF THE COURSE	COMBINATION	SEATS	AFFILIATION	PERIOD OF VALIDITY FOR
01	B.Ed.	ALL COMPULSORY SUBJECT	100	TEMPORARY	2022-23

REGISTRAR (I/C)



# BILASPUR UNIVERSIYT, BILASPUR

Vill. Sendri, P.O. Koni, Dist. Bilaspur (C.G.)

Website : [www.bilaspuruniversity.ac.in](http://www.bilaspuruniversity.ac.in) Email : [bilaspur.University2012@gmail.com](mailto:bilaspur.University2012@gmail.com)

No. Q/Affi/2013

Bilaspur Date : 21-06-13

## CERTIFICATE

This is to certify that Gyanoday Education College, Janjgir Previously affiliated to Guru Ghasidas University, Bilaspur (C.G.) is now affiliated to Bilaspur University, Bilaspur from the session 2012-13

The courses offered by the college and their affiliation status is available on the website of the university [www.bilaspuruniversity.ac.in](http://www.bilaspuruniversity.ac.in)

(Dr. Arun Singh)  
Registrar





# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(म.प्र.राज्य विधानसभा के अधिसूचना क्रमांक 16, मन् 1983 द्वारा स्थापित)

क्रमांक-1154../अका./संब./2008

बिलासपुर, दिनांक-16/7/08

## :: अधिसूचना ::

केशरी शिक्षण समिति द्वारा प्रस्तावित ज्ञानोदय शिक्षा महाविद्यालय, जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा को विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.07.2008 में लिये गये निर्णय एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, द्वारा प्रदत्त अनुमति के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2008-09 के लिए नीचे उल्लेखित विषय की अस्थायी संबद्धता विश्वविद्यालय/एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है :-

### निर्धारित शर्तें :-

1. महाविद्यालय को तीन माह के अंदर परिनियम-28 के तहत नियुक्ति की कार्यवाही करने एवं बी.एड. महाविद्यालय की पृथक से व्यवस्था करने की शर्तों पर केवल सत्र 2008-09 के लिये अस्थायी अनुमति प्रदान की जाती है । बी.एड. पाठ्यक्रम का संचालन वर्तमान भवन में करने हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा से अनुमति संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि तीन माह के भीतर नियुक्ति एवं अधोसंरचना संबंधी कार्यवाही नहीं की जाती है तो अस्थायी अनुमति सत्र 2009-10 के लिये स्वतः समाप्त मानी जायेगी ।
2. निजी महाविद्यालय में मूलभूत शैक्षणिक अधोसंरचना एवं आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय तथा शिक्षकों का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाय ।
3. इन्डोवमेंट फंड में भी नियमित रूप से राशि जमा करने की कार्यवाही तत्काल की जाय ।
4. विश्वविद्यालय परिनियम-27 एवं 28 में निर्धारित प्रावधानों एवं शासन/विश्वविद्यालय/एन.सी.टी.ई. द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनिवार्यतः पालन किया जाय ।
5. नवीन अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना होने की स्थिति में तीन माह के अंदर गवर्निंग बॉडी का गठन किया जा कर विश्वविद्यालय को सूचित किया जाय ।
6. ग्रंथालय में विषय से संबंधित पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध होना अनिवार्य होगा ।
7. प्रयोगशाला एवं पर्याप्त प्रायोगिक सामग्री/उपकरणों की व्यवस्था की जाय ।
8. अध्यापनरत्/नियुक्ति हेतु शिक्षकों की न्यूनतम अर्हतायें, वही होंगी जो विश्वविद्यालय/शासन/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/संबंधित केन्द्रीय अभिकरणों (यथा-ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई./डी.सी.आई./पां.सी.आई./सी.सी.एच./डी.सी.आई.....इत्यादि) द्वारा निर्धारित है ।

क्र०	विषय	निर्धारित छात्र संख्या	रिमार्क
1.	बी.एड.	100	

क्रमांक-1155../अका./संब./2008

प्रतिलिपि :-


1. सचिव/आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय, छ.ग.शासन, रायपुर के सूचनार्थ प्रेषित ।

कुलसचिव


बिलासपुर, दिनांक-16/7/08



2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक/शीघ्रलेखक को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. अध्यक्ष, शासी निकाय, ज्ञानोदय शिक्षा महाविद्यालय, जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा को इस आशय के साथ प्रेषित कि निर्धारित शर्तों की पूर्ति का प्रालन प्रतिवेदन समयावधि में पूर्ण कर विश्वविद्यालय को अनिवार्यतः उपलब्ध करावें ।
5. उपकुलसचिव, परीक्षा/सहायक कुलसचिव, गोपनीय/संचालक, महाविद्यालयीन विकास परिषद/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्ताधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक-कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

  
 सहा. कुलसचिव (अका.)

*[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. Some words like 'सहा. कुलसचिव' are visible.]*

  
 8001/1/11